

भारतीय रिज़र्व बैंक



पर्यवेक्षण विभाग

चण्डीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF SUPERVISION CHANDIGARH REGIONAL OFFICE



पजाकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं) (Not valid for accepting Public Deposits)

> संख्या B-06.00168 No.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एच.एस.बी.लीज़िंग प्राइवेट लिमिटेड करते हए

(पूर्ववर्ती नाम एच.एस.बी.लीज़िंग लि. चंडीगढ़) दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार अव्यक्तिकरते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the

Reserve Bank of India Act, 1934

HSB Leasing Private Limited (Previously known as HSB Leasing Ltd Chandigarh)

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन

में दो हज़ार दिसंबर

तेर्डस

तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at Chandigarh

this on

day of **Twentieth**

December Two Thousand

Twenty Three

In lieu of earlier CoR No. B-06.00168 dated July 22, 2008 issued by Chandigarh RO

म्हिरा पाठडेश (Richa Pandey Dwivedi)

अरुक्क अरुक्क महाप्रबंधक

General Manager / Months General Manager

